भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4902
उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग का विनियमन

†4902. **डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित और प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय ने अपने घटक निकायों और संबद्ध संगठनों के माध्यम से स्क्रीन टाइम प्रबंधन का समाधान करने के लिए व्यापक उपाए किए हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 जुलाई, 2020 को प्रज्ञाता दिशानिर्देश पेश किए, जिनका उद्देश्य उम्र के अनुसार स्क्रीन टाइम सीमा की सिफारिश करके छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करना है। प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए, मुख्य रूप से माता-पिता के साथ बातचीत हेतु स्क्रीन का समय प्रतिदिन 30 मिनट तक सीमित है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रतिदिन 30-45 मिनट के दो से अधिक ऑनलाइन सत्र नहीं रखने की सलाह दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 30-45 मिनट के चार सत्रों तक की सिफारिश की गई है। ये दिशानिर्देश बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की निगरानी में माता-पिता की भागीदारी के महत्व, इंटरनेट उपयोग के बारे में सीधे संवाद को बढ़ावा देने और ऑनलाइन गतिविधियों को ऑफ़लाइन खेल और शारीरिक व्यायाम के साथ संतुलित करने पर बल देते हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के प्रशासन के तहत हैं। विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए उपाय कर रहे हैं।

इन उपायों का उद्देश्य शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित करना, ध्यान भंग होने को कम करना, अत्यधिक स्क्रीन समय और डिजिटल लत से संबंधित चिंताओं का समाधान करना, साइबर-कदाचार को रोकना और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के न्यायसंगत और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है।
